क्षेत्रीय कार्यालय — दूरभाष : 0121–2577676

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पॉकेट–TC-3/2 पल्लवपुरम फेज–2, मोदीपुरम, मेरठ–250110

संदर्भ संख्या 1470/Noc-14/2013 — दिनांक 26/11/2013

सेवा में,

वैद्यता अवधि :– जारी करने की तिथि से दो वर्ष मात्र।

मैं सरस्वती उद्योगपुरम फेज–2,,
गंगोल रोड़,
जनपद मेरठ ।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु/ ~~कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में बिस्तार/संयंत्रों के नवीनीकरण~~ औद्योगिक भूखण्डों का विकास कार्य मात्र हेतु अनापति प्रमाणपत्र का निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने आवेदन पत्र दिनांक .... का संदर्भ लें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृति की जाती है।

1. **अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है–**

   (क) स्थल : खसरा संख्या–1153 पार्ट, 1155 व 1170, ग्राम कॉशी, गंगोल रोड़, मेरठ ।

   (ख) उत्पादन : औद्योगिक भूखण्डीय का विकास हेतु कुल क्षेत्रफल–18250.00 वर्ग मी0

   (ग) मुख्य कच्चे माल : ईंट, रोड़ी, सीमेंट, सरिया आदि आवश्यकतानुसार ।

   (घ) प्रयुक्त ईधन : 100 के0वी0ए0 के डी0जी0सेट में डीजल आवश्यकतानुसार ।

   (ड़) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा शून्य

   उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. **उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।**

3. उद्योग इकाई में परीक्षण, उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन को इकाई से उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियाजित किया जाये।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा 60KLD से अधिक नहीं होगी, सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरुप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।

6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 31-3-2014 तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।

7. प्रस्तावित औद्योगिक एस्टेट से जनित घरेलू उत्प्रवाह को प्रस्तुत परियोजनानुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप शुद्विकृत कर निस्तारित किया जाये ।
8. प्रस्तावित औद्योगिक एस्टेट परिसर में वर्षा जल के संचयन हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्वति की स्थापना की जाये ।
9. प्रस्तावित औद्योगिक एस्टेट परिसर में स्थापित किये जा रहे 100 के0वी0ए0 के डी0जी0सेट पर ध्वनि नियंत्रण हेतु एकास्टिक एनक्लोजर एवं छत तल से 1.5 मी0 ऊँचा एग्जास्ट स्थापित किया जाये ।
10. प्रस्तावित औद्योगिक एस्टेट परिसर के चारो ओर सघन व छायादार वृक्षों को रोपित किया जाये ।
11. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के एकत्रण/निस्तारिण हेतु अधिनियमान्तर्गत वर्णितानुसार डिस्पोजल हेतु उचित प्रबंध किया जाये ।
12. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 एवं समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम का पालन किया जाये ।
13. एरिया डेवलपमेंट/कंस्ट्रक्शन/कच्चे माल के भण्डारण एवं हथालन करते समय वाटर स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाये ।
14. अनापत्ति प्रमाण–पत्र की शर्त संख्या–7, 8, 10, 11 अतिसंवेदनशील शर्तें हैं, का अनुपालन न किये जाने की दशा में जमा की गई बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में जब्त की जा सकती है ।
15. यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र मात्र औद्योगिक इकाईयों हेतु भूखण्डों के विकास कार्य हेतु ही मान्य है ।
16. अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्ति के तीन माह में मेरठ विकास प्राधिकरण से इस कार्यालय को यथा प्रस्तुत मानचित्र स्वीकृत कराकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा यह नोट करें कि इस कार्यालय को यथा प्रस्तुत मानचित्र एवं स्वीकृत मानचित्र में प्लाट एरिया की भ्रॉति न हो ।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाणपत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्धमें उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 31-3-2014 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त कर दी जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0 सं0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :

1. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (सर्किल–3), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

क्षेत्रीय अधिकारी